

उत्तर प्रदेश शासन
प्रवासी भारतीय विभाग
(एन.आर.आई. अनुभाग)

संख्या-42/2019/441/93-19-03NRI /2014

लखनऊ : दिनांक: 17 सितम्बर,2019

“प्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार” हेतु “आवेदन-प्रपत्र” का निर्धारण

अधिसूचना

.....

शासन की अधिसूचना संख्या- 10/93(NRI)-6-15-03NRI/14 दिनांक: 20 जनवरी, 2015 द्वारा प्रख्यापित “अप्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार” मार्गदर्शक सिद्धांत, में प्रथम संशोधन अधिसूचना संख्या-125/93-18-03NRI/14, दिनांक-01 मई,2018 तथा द्वितीय संशोधन अधिसूचना संख्या-425/93-18-03NRI/14, दिनांक-02 सितम्बर,2019 द्वारा किया गया है।

2. शासनादेश संख्या- 421/93-19-18एन.आर.आई.(रत्न पुरस्कार-2020)/2019(volume-1) दिनांक: 30.08.19 द्वारा “उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार-2020” के लिए चयन प्रक्रिया विधिवत आरंभ कर दी गयी है। पात्र अभ्यर्थियों के चयन में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता तथा सुविधा की दृष्टि से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत “उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार” हेतु एतद्वारा “आवेदन-प्रपत्र (Application Format)” का निर्धारण किया जाता है, जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न है। प्रवासी भारतीय विभाग की अधिकृत वेब साइट पर इस आवेदन-प्रपत्र को अपलोड करने की कार्यवाही नोडल एजेंसी द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जाए। संलग्न आवेदन प्रपत्र (Application Format) पर ही इच्छुक अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन मान्य होंगे।

संलग्नक यथोक्त

(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव
प्रवासी भारतीय विभाग।

संख्या- 42/2019/441(1)/93-19-03NRI /2014,तददिनांक

उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही/अनुपालन हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
3. सचिव,(CPV & OIA),विदेश मंत्रालय भारत, सरकार, 901 अकबर भवन,चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021।
4. प्रमुख सचिव/ सचिव/ विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र.शासन।
5. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव,
उच्च शिक्षा / संस्कृति / आई.टी.एवं इलेक्ट्रॉनिक्स / चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण/ सूचना/पर्यटन/ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/ प्रवासी भारतीय
विभाग |
7. संयुक्त सचिव, (कांफ्रेंस) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, अकबर भवन, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली-110021 |
8. नोडल एजेंसी-प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम,(एन.आर.आई सेल) 14/88,
सिविल लाइन्स, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना द्वारा निर्धारित
नवीन व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु वेबसाइट पर इसका प्रदर्शन(form
display) / प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें |
9. श्री राजीव कुमार जैन,अंडर सेक्रेटरी,कांफ्रेंस डिवीज़न,विदेश मंत्रालय भारत
सरकार,चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 |
10. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी मॉल एवेन्यू, लखनऊ |
11. विशेष सचिव, प्रवासी भारतीय विभाग सह संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग
बन्धु,12-सी माल एवेन्यू, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उत्तर प्रदेश प्रवासी
भारतीय रत्न पुरस्कार हेतु चयन की प्रक्रिया अधिसूचना में विहित व्यवस्था के अनुसार
सुनिश्चित कराने का कष्ट करे |
12. स्थानिक आयुक्त, उ.प्र. NBBC Place UGF,Bhishm Pitamah Marg, Pragati Vihar, नई
दिल्ली |
13. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क, उ.प्र. |
14. प्रभारी एन.आर.आई.सेल उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर/लखनऊ |
15. निजी सचिव, मा० मंत्री, प्रवासी भारतीय विभाग, उ.प्र.शासन |
16. गार्ड फाइल |

आज्ञा से,

(डॉ० राकेश वर्मा)
विशेष सचिव |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

FORMAT

UTTAR PRADESH PRAVASI BHARTIYA RATNA PURUSKAR-2020

उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार-2020 हेतु आवेदन प्रपत्र

Details About the Applicant

Name.....

Whether NRI, PIO or OCI (self attested document to be submitted for proof of status)

.....

.....

(NRI; An Indian citizen who is ordinarily residing outside India and holds an Indian Passport /
PIO; A person who or whose any of ancestors was an Indian national and who is presently holding
another country's citizenship/ nationality i.e. he/she is holding foreign passport / **OCI;** A person
registered as Overseas Citizen of India (OCI) Cardholder under section 7A of the Citizenship Act,1955)

(i) Father's / Husband's Name _____

(ii) Passport No. _____

(iii) Date of Birth – _____

(iv) Native Place in UP _____

(v) Gender – _____

(vi) Country – _____

(vii) Profession – _____

(viii) Nationality – _____

(ix) Educational Qualification – _____

(x) Postal Address – _____

(xi) E-mail ID – _____ Mobile No. _____

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

“व्यक्तित्व व कृतित्व के सम्बन्ध में”

Nomination Details

(Please attach self attested proof of Documents)

Fields of Activity –

(As per list/stream mentioned in rule (03) of UP RATNA PURUSKAR notification no.10/93(NRI)-6-15-03NRI/14 dated 20.01.2015)

Sub- Field –

.....
.....
.....
.....

Career highlights –

.....
.....
.....
.....

Earlier Awards received-

.....
.....
.....
.....

Significant Contribution of the nominee / Applicant

Achievement

.....
.....
.....
.....
.....
.....

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

Awards / Recognition Received by the Applicant / nominee

State Awards

.....
.....
.....
.....
.....

National Awards

.....
.....
.....
.....
.....

International Awards

.....
.....
.....
.....
.....

Impact of The Work done by The nominee/ Applicant
Contribution to the field

.....
.....
.....
.....
.....

Declaration

I _____ here by declare that all the information & relevent documents (self attested) submitted by me in this application form is correct, true and valid.

Signature _____

Dated _____

Place _____

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।